1. भंवरसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह।

—वादी—

बनाम

1. नोसर पुत्री चतुर्भुजदास जाति बैरागी निवासी पन्द्राहेड़ा हाल निवास पंवालिया तहसील टोडारायसिंह।
2. मनीष कुमार पि0 मोहनदास जाति बैरागी निवासी पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह।
3. योगेश पि0 मोहनदास जाति बैरागी निवासी पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह।
4. बृजेश पि0 मोहनदास जाति बैरागी निवासी पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह।
5. सीमा पि0 मोहनदास जाति बैरागी निवासी पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह।
6. फूला देवी पत्नी मोहनदास जाति बैरागी निवासी पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह।
7. लादूलाल पुत्र चतुर्भुजदास जाति बैरागी निवासी पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह।
8. गोपाल पुत्र चतुर्भुजदास जाति बैरागी निवासी पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह।
9. फूला पुत्री चतुर्भुजदास जाति बैरागी निवासी पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह।
10. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा टोडारायसिंह।
11. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बावड़ी।
12. तहसीलदार / लैण्ड होल्डर तहसील टोडारायसिंह।

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 टी. एक्ट व
सपठित धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट बाबत
घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश दिनांकः—08.04.2024

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी खसरा नं0 927 रकबा 0.60 है0, 928 रकबा 0.44 है0, 929 रकबा 0.52 है0, कुल किता 3 रकबा 1.56 है0 अन्य आराजियात के साथ ग्राम पन्द्राहेड़ा तहसील टोडारायसिंह में स्थित है जिसमें मोहनदास व नोसर का अन्य सह खातेदार के साथ बराबर —बराबर का हक हिस्सा खातेदारी में दर्ज था। यानि मोहनदास व नोसर का 1/3 हिस्सा था। चतुर्भुजदास के लादूलाल, गोपाल, मोहनदास, फूला, नोसर, लादी हुए। लादी फौत हो चुकी है, मोहनदास फौत हो चुका है जिसके वारिसान मनीष कुमार, योगेश, बृजेश, सीमा, फूला देवी है।

वादी ने प्रतिवादीया नं0 1 नोसर व प्रतिवादीया नं0 2 ला0 5 व 6 के पिता पति मोहनदास से आराजी खसरा नं0 927 रकबा 0.60 है0, 928 रकबा 0.44 है0, 929 रकबा 0.52 है0 कुल किता 3 रकबा 1.56 है0 में से उनके 1/3 हिस्से कब्जे काश्त में खातेदारी में आराजियात को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.11.2000 को उप पंजीयक कार्यालय टोडारायसिंह में उपस्थित होकर पंजीबद्ध करवायी है। जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 81 पृष्ठ संख्या 114 पर पंजीबद्ध की गयी थी। तब से वादी उक्त क्रय शुदा आराजियात का खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है। परन्तु उक्त समय आराजियात विक्रयतागण के एक हिस्से की भूमि विकास बैंक लि0 शाखा टोडारायसिंह के यहां बिला कब्जा रहन दर्ज होने से वादी के हक में खातेदारी दर्ज नही हो सकी थी। लादी पुत्री चतुर्भुजदास का भी आराजियात मुतनामा में 1/6 हिस्सा दर्ज था। लादी की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद उसके हक हिस्से में दर्ज आराजी में से उसका नाम हटाने की स्वीकृति जरिए नामान्तरकरण संख्या 532 निर्णय दिनांक 19.11.2010 को चुकी है। इस कारण उसके हक हिस्से में दर्ज आराजी भी मोहनदास, गोपालदास, लादूदास, फूला व नोसर जो उसके सह खातेदार थे। भाई बन्धु थे के नाम बराबर—बराबर दर्ज कर दी गयी। इस कारण उक्त आराजी में मोहनदास व नोसर का पत्येक का 1/5 – 1/5 हक हिस्सा खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार मोहनदास व नोसर का सम्पूर्ण आराजी में 1/3 हिस्से के स्थान पर 2/5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हो गया। मोहनदास ने आराजी को रहन मुक्त नही करवाया। मोहनदास की मृत्यु हो गई। प्रतिवादी नं0 2 ... वारिसान के नाम आराजी वारिसात में दर्ज होने पर उन्होने रहन मुक्त भी कराली तब भी प्रतिवादी नं0 1 ला0 6 रजिस्ट्री का नामान्तरकरण वादी के नाम दर्ज करवायी जाने ... कब्जा हटाने, बेदखल करने की धमकीया देने लग गये। ... आवश्यक हुआ। यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो वे अपने नाम दर्ज होने का बेजा फायदा उठाते हुये आराजियात मुतदाविया को अन्तरण मुन्तकिल कर ... बैंक या अन्य वित्तिय संस्था के हक में रहन दर्ज करा देगें। जिससे वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति कतई संभव नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विवाद मूल दियें जाने धमकी दिनांक 12.06.2015 को उत्पन्न हुआ जिससे वाद अन्दर मियाद पेश हैं।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नं0 927 रकबा 0.60 है0, 928 रकबा 0.44 है0, 929 रकबा 0.52 है0 कुल किता 3 रकबा 1.56 है0 वाके ग्राम पन्द्राहेड़ा में दर्ज प्रतिवादीया नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 ल0 6 के 2/5 हिस्से में से वादी को 1/3 हिस्से यानी कुल तीनो नम्बरो में से 1/3 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल बरामद कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वे उक्त आराजियात में वादी के कब्जे काश्त में बैजाभजाहमत नहीं करे। जबरन बेदखल नहीं करें।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण तलबी जारी की गयी। जिस पर प्रतिवादीगण नं0 1 ल0 7 ने वाद को नकारते हुयें जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वाद पत्र का विरोध किया। वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाबुल जवाब पेश कर काउन्टर क्लेम को खारिज करते हुयें दावा वादी डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। प्रतिवादी नं0 8, 11 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं आयें इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाहीं एक तरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी नं0 7, 9, 10 प्रोफारमा प्रतिवादी वनाये गये हैं। इसलिए उनके जवाव की कोई आवश्यकता नहीं हैं। सो जवाब वन्द किया गया। प्रतिवादी नं0 2 ल0 5 मुताबिक प्रमाण पत्र, प्रधानाध्यापक राउमावि पन्द्राहेड़ा (टोडारायसिंह) क्रमांक रामावि/पन्द्राहेड़ा/66 दिनांक 23.03.2021 के अनुसार वालिग हो जाने से व दर0 32 आर 12 (3) व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने पर प्रतिवादीगण न0 2 ल0 5 को वालिग दर्ज किया गया।

वादी व प्रतिवादी नं0 1 ल0 6 ने मय अभि0 उपस्थित होकर राजीनाम पेश किया जिस पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल कराया गया।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 खाता संख्या 404 प्रदर्श पी–1, सम्वत् 2056 से 2059 खाता संख्या 357 प्रदर्श पी–2, सम्वत् 2060–2063 खाता संख्या 386 प्रदर्श पी–3, सम्वत् 2064–2067 प्रदर्श पी–4, प्रधानाध्यापक रामावि पन्द्राहेड़ा द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र क्रमांक रामावि/पन्द्राहेड़ा/66 दिनांक 23.03.2021 प्रदर्श पी–5, मूल विक्रय विल्लेख मोहन पुत्र चतुर्भुजदास जाति बैरागी, नोसर पुत्री चतुर्भुजदास ब हक भंवरसिंह पुत्र विजय सिंह दिनांक 03.11.2000 प्रदर्श 6, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 394 प्रदर्श पी–7, पेश कियें। तथा बयानात वादी भंवरसिंह, के करवाये जाकर शामिल करवाये गयें।

बहस अभि0 उभय पक्ष सुनी गई जो मुख्य रूप से वाद पत्र एवं राजीनामे के अनुसार रहीं। तथा निवेदन किया की राजीनामें के अनुसार दावा वादी डिक्री फरमा दिया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी खसरां न0 927 रकबा 0.60 है0, 928 रकबा 0.44 है0, 929 रकबा 0.52 है0 किता 3 रकबा 1.56 है0 में से वादी द्वारा प्रतिवादी न0 01 व प्रतिवादी न0 2 ल0 6 पिता–पति मोहनदास से उनके हिस्सो मे से 1/6–1/6 अर्थात कुल 1/3 हिस्सें की आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई। लेकिन आराजी पर बैंक रहन का अंकन होने से नामान्तरण नही हो सका। विक्रेता मोहनदास के फौत हो जाने पर उसके हिस्से की आराजियात उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी न0 2 ल0 6 के नाम विरासत में दर्ज हो गई। वादी उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी उसकी क्रय शुदा आराजी की घोषणा खातेदारी करवाये जाने का कानूनी रूप से अधिकारी है। दिनांक 27.09.2023 को प्रतिवादीगण न0 01 ल0 6 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक शामिल कराया गया। राजीनामें में स्पष्ट उल्लेख किया है कि खसरा न. 927 रकबा 0.60 है0, 928 रकबा 0.44 है0, 929 रकबा 0.52 है0 कुल किता 3 रकबा 1.56 है0 वाके मोजा पन्दाहेडा में मोहनदास पुत्र चुतुर्भुजदास व नोसर पुत्री चुतुर्भुजदास के हक हिस्से खातेदारी मे दर्ज (संम्वत 2056 से 2059) की खतोनी संख्या 259 में दर्ज अन्य आराजियात मे से उक्त आराजियात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.11.2000 को 1/3 हिस्सा क्रय किया था यानि प्रत्येक का 1/6 1/6 हिस्सा क्रय कर क्रय दिनांक से काबिज काश्त करता आ रहा था परन्तु उस समय आराजियात पर जिला सहकारी भुमि विकास बैंक के रहन दर्ज होने से खातेदारी में दर्ज नही हो सकी थी। फिर खातेदारी वादी की मृत्यु होने पर उसकी 1/6 हिस्से की आराजियात की खातेदारी शेष वारिसान के नाम बराबर–बराबर दर्ज हो गई यानि शेष खातेदारो के नाम प्रत्येक के 1/6 के स्थान पर 1/5 हो गई। व फिर विक्रेता मोहनदास की मृत्यु होने [illegible] न0 2 ल0 6 के नाम दर्ज हो गई। मोहनदास पुत्र चुतुर्भुजदास नोसर पुत्री चुतुर्भु[illegible] किये गये विक्रय से हम प्रतिवादीगण मोहनदास के वारिसान व प्रतिवादि[illegible] वादी ने क्रय शुदा आराजी की खातेदारी अपने नाम दर्ज करने क[illegible] व अन्य सह खातेदारो के विरुद्ध न्यायालय हाजा में पेश कि[illegible] फरीकेन एक ही गांव के रहने वाले है। आपस में गांव वालों के व परिवारजन सह खातेदारी [illegible] समझाईस कराने से व लोक अदालत की भावना से दोनो पक्षो के मध्य राजीनाम हो गया है। उक्त [illegible].ख.न. 927 ,928, 929 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 में प्रतिवादिया न0 1 नोसर पुत्र चुतुर्भुजदास के नाम दर्ज खातेदारी में 1/5 हिस्सा में से 1/30 हिस्सा घटाकर 1/6 हिस्सा की व इसी प्रकार प्रतिवादी न0 2 ल0 6 के नाम 1/5 हिस्से में से 1/30 हिस्सा घटाकर 1/6 हिस्सा यानी कुल रकबा 1.56 है0 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण न0 1 ल0 6 के हिस्से 1/3 रकबा 0.52 है0 की खातेदारी वादी के नाम घोषणा की जावे। शेष उक्त नम्बरों में बची आराजी प्रति वादी न0 1 ल0 6 के नाम यथावत रखी जावे। अर्थात राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी न0 1 के हिस्से 1/5 व प्रतिवादी न0 2 ल0 6 के नाम की आराजी हिस्या 1/5 मे से 1/6 – 1/6 हिस्सों की आराजी घोषणा खातेदारी वादी के नाम मुताबिक विक्रय पत्र कराये जाने बाबत् प्रतिवादी न0 1 ल0 6 ने राजीनामा पेश किया है। वादी राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री करवाये जाने का अधिकारी है। नोसर व सोसर एक ही है।

अतः दावा वादी मुताबिक राजीनामा व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार डिक्री किया जाकर आराजी खसरा न0 927 रकबा 0.60 है0, 928 रकबा 0.44 है0, 929 रकबा 0.52 है0 कुल किता 3 रकबा 1.56 है0 वाके ग्राम पन्दाहेडा तहसील टोडारायसिंह में प्रतिवादिया न0 1 नोसर उर्फ सोसर के हिस्से में से 0.26 है0 एवं प्रतिवादीगण न0 2 ल0 6 के हिस्से में से 0.26 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरा नम्बरान में से शेष रकबा 1/30 हिस्सा प्रतिवादिया न0 1 के नाम व 1/30 हिस्सा प्रतिवादीगण न0 2 ल0 6 के नाम खातेदारी में रहेगें। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना –अपना वहन करेगे।

आदेश आज दिनांक 08.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

08/04/2024

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:29:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner